

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/22

जयपुर, दिनांक 15-02-2023

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार, शुक्रवार) अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

| क्र. सं. | नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री) | वर्तमान पदस्थापन स्थान | अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग |
|----------|-----------------------------------|---|---|
| 1. | रामेश्वर सिंह लखावत | सहायक विधि परामर्शी कार्यालय राजस्व मण्डल अजमेर | उप विधि परामर्शी कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर। |
| 2. | सुखदेव सिंह | सहायक विधि परामर्शी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। | सहायक विधि परामर्शी कार्यालय पंचायती राज विभाग, सचिवालय जयपुर |
| 3. | सज्जन लाल कडैला | वरिष्ठ विधि अधिकारी राजस्व मंडल अजमेर | वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय जिला परिषद अजमेर |
| 4. | ईश्वर सिंह | कनिष्ठ विधि अधिकारी संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जोन-भरतपुर। | कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर, धौलपुर। |

आज्ञा से

६३

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाए।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव